

यात्रा पूरी करने के लिए स्व- घोषणा प्रमाणपत्र

(का. ज्ञा . सं. 19024/03/2021-ई . दिनांक 16.06.2022 का अनुबंध)

1. मैं (अधिकारी/कर्मचारी का नाम ..... ) एदतद्वारा घोषित और प्रमाणित करता /करती हूँ कि:
2. मैंने वास्तविक रूप से ..... से ..... तक दिनांक..... को पूरी की है और वापसी यात्रा ..... से ..... तक दिनांक ..... को दौरा /प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की है।
3. मैंने /हमने वास्तविक रूप से ..... से .....तक आगे की यात्रा दिनांक .....को वापसी यात्रा ..... से .....तक दिनांक .....को स्थानांतरण /एलटीसी/सेवानिवृति के प्रयोजनार्थ की है। स्वयं या परिवार के सदस्यों जिन्होंने सरकारी सेवक के साथ या अलग से यात्रा की है उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रम सं.	नाम	आयु	सरकारी सेवक के संबंध

4. यदि मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई घोषणा किसी स्तर पर नहीं पाई जाती है तो मैं केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 जिसे समय – समय पर संशोधित किया गया है, अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होऊँगा/होऊँगी।

(हस्ताक्षर)

सरकारी सेवक का नाम.....

पद नाम .....

मंत्रालय/ विभाग का नाम.....

सेवा में,

प्रशासन/स्थापना अनुभाग

मंत्रालय/विभाग.....